बैठक आयोजित

टोंक। भाजपा राष्ट्रीय-अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के टोंक दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिसको लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी, एडीएम रामरतन सौकरिया, बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान आदि ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के टोंक दौरे को लेकर बैठक ली गई। जिसके अन्तर्गत जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने 27 अप्रैल को प्रस्तावित दौरे को लेकर संभावित सभा स्थल, बीजेपी कार्यालय तक के रास्ते का जायजा लिया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राजस्थान के सात जिलों में टोंक सहित भाजपा कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन और दो कार्यालयों का भूमि पूजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

'मुनि जिस स्थान पर बैठ जाते हैं, वहीं स्थान तीर्थ हो जाता है'

दिगम्बर जैन शान्तिनाथ अग्रवाल मंदिर में मुनि उत्कृष्टनन्दी महाराज व मुनि नाभिनन्दी महाराज के सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ।

निवाई। सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में राष्ट्रीय संत आचार्य भगवन इन्द्रनन्दी महाराज के सानिध्य में दिगम्बर जैन शान्तिनाथ अग्रवाल मंदिर में मुनि उत्कृष्टनन्दी महाराज व मुनि नाभिनन्दी महाराज के सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जैन समाज के प्रवक्ता सुनील भाणजा एवं धार्मिक मीडिया प्रभारी हितेश छाबड़ा ने बताया कि सुबह बालमंडल द्वारा भगवान शांतिनाथ की वृहद शांतिधारा कर अभिषेक किया गया।

- तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह, छह ढाला का स्वाध्याय की कक्षाएं संचालित

इसके बाद श्रद्धालुओं ने आचार्य इन्द्रनंदी महाराज के ससंघ को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

कार्यक्रम के दौरान नित्य नियम पूजा, शास्त्र भेंट व गुरु पूजन का आयोजन किया गया। धर्मसभा का शुभारंभ महिला मण्डल द्वारा मंगलाचरण करके किया। धर्म सभा में प्रवचन देते हुए उत्कृष्ट नन्दी महाराज ने कहा कि संत प्रेम-तीर्थ है। ऋषि मुनि चलते फिरते तीर्थ है। वह जिस स्थान पर बैठ जाते हैं, वही स्थान तीर्थ हो जाता है। जंगल में जाकर भी बैठ जाएं तो वहीं समवशरण लग जाता है। संत किसी को अपने पास आने का निमंत्रण नहीं देता है, लोग स्वत खींचे चले आते हैं। जैसे कमल खिलता है, तो भौंरे खींचे चले आते हैं।

संत के आचरण की सुगंध में खिंचाव होता है। उन्होंने बताया की धन संपत्ति कमाना बड़ी बात नहीं है, उस धन संपत्ति का सही उपयोग करना बड़ी बात है। लोग धन कमा तो लेते हैं पर सही उपयोग के अभाव में उसका दुरुपयोग हो जाता है, इसलिए कमाने के साथ-साथ धन का सही उपयोग भी करना आना चाहिए। धर्म केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं बल्कि आत्म अनुशासन, सत्य, अहिंसा व पारस्परिक सम्मान के व्यवहार में प्रकट होता है। प्रवचन के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने आचार्य इन्द्रनन्दी महाराज का उद्घोष लगाए।

अवकाशों में कटौती के विरोध में ज्ञापन सौंपा

निवाई। शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिविरा पंचांग सत्र 2026-27 में विद्यालयों के अवकाशों में की गई कटौती के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश मंत्री हनुमानप्रसाद बैरवा एवं जिलाध्यक्ष धनसिंह राजावत के सान्निध्य में पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवकाश कटौती के आदेश को वापस लेने की मांग की गई। जिला मंत्री मुकेशकुमार मीणा ने बताया कि ज्ञापन में विभाग द्वारा संस्था प्रधान के दो अधिकृत अवकाशों में से एक अवकाश समाप्त कर दिया गया है तथा ग्रीष्मावकाश में भी 10 दिन की कटौती की गई है। अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि इस निर्णय से शिक्षकों में भारी असंतोष व्याप्त है।ग्रीष्मावकाश में की गई 10 दिन की कटौती को समाप्त किया जाए। यदि विभाग कटौती को यथावत रखता है, तो इसके बदले शिक्षकों को 10 दिन का उपार्जित अवकाश प्रदान किया जाए। इस अवसर पर संगठन मंत्री रमेशकुमार मीणा, जिला कोषाध्यक्ष सोहनलाल वर्मा, मोलेशकुमार मीणा, केदारराम कुम्हार, कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैयालाल मीणा, सभा अध्यक्ष महेंद सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष पीपलू मोरपाल गुर्जर, मो. इरफान व जितेंद्र शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

पांच कुंडीय यज्ञ में गायत्री मंत्र की आहुति

राजगढ़। अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री शक्तिपीठ राजगढ़ की ओर से गेस्ट हाउस रोड पर गार्डन में पंच कुंडीय यज्ञ मैं गायत्री मंत्र की आहुति दी। इसमें भारी संख्या में महिला पुरुषों ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ यज्ञ को सफल बनाया एवं भाईचारा, प्रेम एवं सद्भाव के साथ विश्व कल्याण की प्रार्थना की। इस दौरान मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी मीना खंडेलवाल, प्रीति विजय, एवं अन्य विद्वान महिलाओं की ओर से गायत्री परिवार के संचालित कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया।

इस अवसर पर राजेन्द्र गोयल, सुषमा गोयल, ओमप्रकाश झालानी, हेमलता, नीरज शर्मा, मोहनलाल मीणा,लाड बाई, प्रहलाद नारायण, सुन्दरी, सुरेश तांबी, अनीता,कान्ता तांबी प्रभु दयाल शर्मा , जगदीश झालानी, कृष्णा , धनश्याम सैनी, सुनीता शर्मा, प्रीति विजय, किरण शर्मा, मीरा बटवाडा, मुन्नी खूटेटा, बीना सर्राफ, सुनीता, उर्मिला मामोडिया एवं अन्य मौजूद रहे।

रोटावायरस वैक्सीन नहीं होने से छोटे बच्चों के अभिभावकों की चिंता बढ़ी

- वैक्सीन नहीं होने से अभिभावक अपने बच्चों को समय पर टीका नहीं लगवा पा रहे हैं, जिससे अभिभावक परेशान है
- समय पर वैक्सीनेशन न होने पर यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। सरकार ने इस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है,ताकि हर बच्चे को इसका लाभ मिल सके

किशनगढ़ बास। उपखंड मुख्यालय पर सीएचसी अस्पताल में पिछले लगभग एक महीने से बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक रोटावायरस वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसा यही नहीं पूरे क्षेत्र में बने हुए हैं। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि नवजात और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न कर रही है।

रोटावायरस एक ऐसा वायरस है जो शिशुओं और छोटे बच्चों में गंभीर दस्त और डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। समय पर वैक्सीनेशन न होने पर यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। सरकार द्वारा इस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है, ताकि हर बच्चे को इसका लाभ मिल सके। लेकिन वर्तमान में किशनगढ़ बास क्षेत्र में इसकी अनुपलब्धता यह दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं न कहीं कमी रह गई है। कई अभिभावक अपने बच्चों को समय पर टीका नहीं लगवा पा रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है। यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य विभाग इस समस्या को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। साथ ही, स्थानीय प्रशासन को भी इस विषय पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अरविंद गेट से इस रोटावायरस वैक्सीनेशन को लेकर जब संवाददाता ने फोन पर जानकारी मांगी तो उनकी जानकारी में ही नहीं था कि वैक्सीनेशन उपलब्धता के अभाव में नहीं हो रहा है, यहां तक ब्लाक पर बैठे अधिकारी ने उन्हें अवगत कराया जाना तक मुनासिब नहीं समझा। सीएमएचओ ने बताया सप्लाई सीधे अलवर से आती हमारे यहां पर डीडीडब्लू स्टोर नहीं है। फिर भी मैं मालूम करता हूं। किशनगढ़ बास ब्लॉक अधिकारी डॉ सतीश यादव ने बताया कि पिछले करीब एक माह से रोटावायरस वैक्सीन पिछे से नहीं मिल रही है यह कमी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। अलवर स्टोर पर डिमांड भेजी हुई, उपलब्ध होने पर वैक्सीनेशन कराया जाएगा।

राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम होगा शुरू

कोटपूतली। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा यहां के राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय में विद्यार्थियों को युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने के उद्देश्य राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम प्रारम्भ किया जा रहा है। प्राचार्य डॉ. आर. के सिंह ने बताया कि मंगलवार 21 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से उक्त नये कार्यक्रम से विद्यार्थियों को अवगत करवाया जायेगा। साथ ही इस प्रतिस्पर्दा वाले युग में अपने जीवन में नई उमंग एवं नई पहचान के बारे में बताया जायेगा। राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम के प्रभारी डॉ. शीशराम यादव ने कहा कि उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सॉफ्ट स्किल्स, संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास एवं इंटरव्यू तैयारी जैसी महत्वपूर्ण क्षमताओं में प्रशिक्षित करना है, ताकि वे निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें।

खोया पाया

मेरे मकान संख्या 118/310 मानसरोवर जयपुर के मूल अदेय प्रमाण पत्र, कब्जा पत्र कहीं खो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें-यशपाल वासवानी-9414918518

मेरे भूखण्ड संख्या -452 जेडीए की योजना अभिनव विहार विस्तार का जेडीए से जारी मूल आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र एवं साइड प्लान कही खो गया है मिलने पर सूचित करें - सारिका ईसरानी मो - 9602040053

नाम परिवर्तन

मैने अपना नाम संजीव सिंह से बदलकर संजीव मुकेश सिंह, पुत्र श्री मुकेश सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पताः फ्लैट नंबर 004, ग्राउंड फ्लोर, टावर एगेट, ओमेक्स एग्जीक्यूटिव होम्स, ओमेक्स सिटी, सारंगपुरा, ठिकरिया, जयपुर- 302026, राजस्थान।

मै, नंबर 13626424L हवलदार भागीरथ लाल, निवासी गांव- गोबरा, पोस्ट- जोगीपुरा, तहसील- बाजपुर, जिला- उधम सिंह नगर (उत्तराखंड)। मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे बेटे का नाम Vidrabh Chouhan गलत दर्ज है। मेरे बेटे का सही नाम Vidhrabh Chouhan है। एफिडेविट नंबर 0039313568, तारीख 17.04.2026

I Ghaiyour Ahmed S/o Zahoor Mohammad ploT No 3633 babu ka tiba mohalla naddafan chokdi topkhana hu Jaipur Have Changed Name GHAIYOUR AHAMMED to GHAIYOURAHMED

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल वृत अलवर

-:आवश्यक सूचना:-

आवास संख्या 1/121 व 1/122, 10-बी योजना, अलवर जो कि मूलतः श्री सुरेश चन्द वर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद वर्मा को एक ही आवंटन पत्रांक 618 दिनांक 14.04.1988 के द्वारा आवंटित किया गया था। आवास संख्या 1/121 व 1/122, 10-बी योजना, अलवर का अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 1457 दिनांक 15.07.2014 को श्री सुरेश चन्द वर्मा के पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्री सुरेश चन्द वर्मा द्वारा आवास संख्या 1/121 व 1/122, 10-बी योजना, अलवर को रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 05.09.2014 को उपपंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री सुरेश चन्द वर्मा द्वारा आवास संख्या 1/122, 10-बी योजना, अलवर को जरिये पंजीकृत दानपत्र (गिफ्ट डीड) दिनांक 05.09.2014 श्री विजय सोनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद के पक्ष में कर दिया गया था। श्री विजय सोनी द्वारा आवास संख्या 1/122, 10-बी योजना, अलवर का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 05.08.2019 को श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री गोपाल प्रसाद को कर दिया गया। श्रीमती सुशीला देवी द्वारा आवास संख्या 1/122, 10-बी योजना, अलवर का मण्डल नियमानुसार लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है।

अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 1/122, 10-बी योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री गोपाल प्रसाद के पक्ष में आवास संख्या 1/122, 10-बी योजना, अलवर के लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन, आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

'आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाएं'

जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अधिकारियों के साथ बैठक की।

टोंक। मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय संपर्क पोर्टल, जिला स्तरीय जन सुनवाई पर दर्ज परिवादों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाएं। उन्होंने सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिला कलेक्टर ने फ्लैगशिप स्कीम, वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य बजट में जिले से संबंधित घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आमजन को इनका लाभ देने के लिए अधिकारी कार्यप्रणाली में तेजी लाएं। उन्होंने रसद विभाग की नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना, विद्युत विभाग की कुसुम योजना घटक-ए, लाडो प्रोत्साहन योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना समेत राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही इन योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई में आए प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को आगामी सात दिवस में इन प्रकरणों का निस्तारण कर जवाब भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जन सुनवाई में आए प्रकरणों को स्वंय एक रजिस्टर में संधारित करें। साथ ही प्रकरण में की गई कार्यवाही भी दर्ज करें।

प्रत्येक गांव व ढ़ाणी विकास की दौड़ में भागीदार बने : पटेल

- ग्राम तालवा व पाथरेड़ी में अटल पथ निर्माण हेतु 04 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी

कोटपूतली। राज्य सरकार द्वारा विधायक हंसराज पटेल की अनुषंषा पर ग्राम तालवा व पाथरेड़ी में अटल पथ निर्माण हेतु 04 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं। जिसमें ग्राम तालवा मोड़ से देवनारायण मंदिर की ओर पुडाला तक सड़क निर्माण (02 किमी) हेतु 02 करोड़ रूपये एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 पाथरेड़ी रोड से मालेरा जोहड़ तक सड़क निर्माण (02 किमी) हेतु 02 करोड़ रूपये स्वीकृत हुये हैं। उक्त स्वीकृति प्रदान करने पर विधायक हंसराज पटेल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि प्रत्येक गांव व ढ़ाणी विकास की दौड़ में भागीदार बने यही भजन लाल सरकार का लक्ष्य हैं।

पटेल ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुये कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। अटल पथ निर्माण से आमजन को सुगम, सुरक्षित और आसान आवागमन की सुविधा मिलेगी। विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और आमजन के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आयेगा। उन्होंने कहा कि विकास ही हमारी पहचान है एवं जनसेवा ही हमारा धर्म। विधायक पटेल ने कहा कि इससे आवागमन और अधिक सुगम होगा, व्यापार, शिक्षा और रोज़गार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, मजबूत आधारभूत ढांचे और आमजन की सुविधा के लिए हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर कार्यरत हैं।

अवकाश कटौती को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपा

पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष होतीलाल जैमन एवं कृष्णसिंह बैंसला के नेतृत्व में एडीएम घनश्याम शर्मा को ज्ञापन सौंपा।

- अन्यायपूर्ण फैसला वापस नहीं लिया तो हजारों शिक्षक राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के बैनर तले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र से सबसे बड़े शिक्षक आन्दोलन का आगाज करेंगे'

भरतपुर। राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष होतीलाल जैमन एवं कृष्णसिंह बैंसला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर घनश्याम शर्मा को ज्ञापन सौंपकर मांग की, कि सरकार द्वारा ग्रीष्मावकाश में की गई कटौती के आदेश को वापस लेकर शिविरा में शीघ्र संशोधन किया जाये और संस्था प्रधान के दोनों अधिकृत अवकाश यथावत रखे जायें।

इस अवसर पर प्रदेश संरक्षक श्यामसिंह जघीना एवं अशोक पाराशर ने बताया कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और मौसमी दशाओं को देखते हुए सरकार का फैसला अविवेकपूर्ण एवं शिक्षकों को परेशान करने वाला है।

राजस्थान सरकार को इसमें शीघ्र संशोधन करना चाहिए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पूनम चतुर्वेदी ने कहा कि यदि राजस्थान सरकार ने यह अन्यायपूर्ण फैसला वापस नहीं लिया तो पूरे राजस्थान के हजारों शिक्षक राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के बैनर तले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मण्डी से सबसे बड़े शिक्षक आन्दोलन का आगाज करेंगे। इस अवसर पर जिला मंत्री सुधीर कटारा, अशोक लवानियां, विष्णुदत्त शर्मा, बृजेश तिवारी, कृष्णवीर सिंह, चंचल गुप्ता, मुरारी लाल शर्मा, बलवीर सिंह शर्मा, वीरेन्द्रसिंह चौधरी, अशोक पाराशर, जितेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार, याचना शर्मा, लक्ष्मण सिंह, सुरेन्द्र सिंह मदेरणा, प्रमोद लवानियां सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/2074 चूंकि प्रार्थी श्री VIDUSHI GARG, 143, GOMS DEFENCE COLONY, AVENUE NO-2, VAISHALI NAGAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ट्रस्ट VILLAGE JHARNA, TEHSIL MOZAMABAD, SUB DIVISION DUDU, DISTRICT JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 05.06.2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्कील श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री मोहम्मद नबी निवासी- मोहल्ला नई बस्ती, पश्चिम मदिना मस्जिद, नबावगंज बरेली उत्तर प्रदेश हाल निवासी 3571, भिश्तियो का मोहल्ला, छोटी मस्जिद पहाडगंज, रामगंज बाजार जयपुर राजस्थान का पुत्र मोहम्मद अमान मेरे मुवक्कील के कहने मे नही है आये दिन हैरान परेशान तथा मेरे मुवक्किल से झगड़ा करता है तथा समझाने पर भी मेरे मुवक्किल व परिवार के अन्य सदस्यो के साथ गाली गलोच, बदतमिजी भी करता है। अतः उसके कृत्यो से परेशान होकर मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र मोहम्मद अमान को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति एवंअपने परिवार से बेदखल कर दिया है। मेरे मुवक्किल ने मोहम्मद अमान से सभी सम्बन्ध समाप्त कर दिये है। यदि कोई व्यक्ति मेरे मुवक्किल के पुत्र मोहम्मद अमान से किसी भी तरह का संव्यहार करता या कोई कोर्ट केस होता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इसमे मेरे मुवक्किल का किसी प्रकार का कोई लेना देना अथवा जिम्मेदारी नही होगी। अतः सूचित रहे।
(फिरोज हुसैन) एडवोकेट, मो.-9214443782,9314443782

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-29
Letter No.-MGGS/Shrikarpura/JP/29
Dated-20/4/26

जिशिअ (मा.शि.) जयपुर के आदेश क्रमांक जिपस/जय/2025-26/1098 की अनुपालना में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, शिकारपुरा सांगानेर जयपुर के 3 कमरे, शौचालय व अन्य को जमीदोज करने हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से खुली बोली की निविदा दिनांक 5/5/26 को दोपहर 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है, दिनांक 6/5/26 को प्रातः 10 बजे निविदा खोली जाएगी। निविदा की शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकेगा। निविदा से सम्बन्धित समस्त अधिकार SDMC, MGGS शिकारपुरा में निहित होगे।

अध्यक्ष सचिव
विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय
शिकारपुरा, सांगानेर शहर, जयपुर

न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय

प्रकरण संख्या............/2026
कोई अन्य दीगर व्यक्ति बनाम
1. राधा कृष्ण अग्रवाल पुत्र स्व. चौथमल अग्रवाल, आयु- 75 वर्ष, निवासी 633, तिरू आंगन, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, विधुत नगर-ए, जयपुर राजस्थान- 302021
2. शुभम अग्रवाल पुत्री श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, आयु 41 वर्ष, निवासी 633, तिरू आंगन, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, विधुत नगर-ए, जयपुर राजस्थान - 302021

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 148 (A) सीपीसी, 1908 केवियट मे प्रवेश हेतु

महोदय,
प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-
1. यह कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त केवियट सीविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148 (A) के अर्न्तगत निम्न प्लॉट के संबन्ध मे प्रस्तुत की जा रही है:-
633 स्कीम, विधुत नगर-ए, बीड खातीपुरा, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, जयपुर
2. यह कि उक्त प्लॉट से संबंधित कोई भी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है तो ऐसी स्थिती मे बिना प्रार्थीगण को सुने किसी भी प्रकार का आदेश पारित नही किया जावे, इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित प्लॉट के संबंध मे उक्त केवियट प्रस्तुत की जा रही है।
3. यह कि उक्त प्लॉट से संबंधित वाद निम्न के विरूद्ध पेश किया जा सकता है:-
(A) राधा कृष्ण अग्रवाल पुत्र स्व. चौथलम अग्रवाल, आयु- 75 वर्ष, निवासी 633, तिरू आंगन, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, विधुत नगर-ए, जयपुर राजस्थान- 302021
(B) शुभम अग्रवाल पुत्री श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, आयु 41 वर्ष, निवासी- 633, तिरू आंगन, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, विधुत नगर-ए, जयपुर राजस्थान- 302021
4. यह कि उक्त प्रार्थीगण का वकालतनामा इस केवियट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान के समक्ष उक्त केवियट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त केवियट को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्लॉट संख्या 633 स्कीम, विधुत नगर-ए, बीड खातीपुरा, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, जयपुर के संबंध मे प्रार्थीगण को केवियेटर के रूप मे पक्षकार बनाया जावे एवं उक्त प्लॉट के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जावे। केवियट का नोटिस सभी संबंधित लोगो के लिए लोकल अखबार मे पब्लिक कर दिया गया है और उसकी एक कोपी इसके साथ दी गयी है।

जरिये अधिवक्ता-जावेद खान, 9571654662

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

जयप्रकाश थालौर आदि बनाम जगन्नाथ शर्मा आदि

दावा बाबत बंटवारा जायदाद, आदेशात्मक एवं स्थाई व्यादेश ।।

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकाशनार्थ अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व LCPC

वाद संख्या-02 सन 2023
TI 2/2023

बनामः ममता देवी पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ शर्मा निवासी सुपर मार्केट के पास, बस स्टेण्ड, कस्बा लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

चूंकि वादीगण ने इस अदालत में तारीख 03.01.2023 को दावा उनवानी जयप्रकाश थालौर आदि बनाम जगन्नाथ शर्मा आदि दायर किया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 जगन्नाथ शर्मा बाद में फौत हो गया और चूंकि वादीगण मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर किया गया है कि आप मुतवफ्फी प्रतिवादी संख्या 01 मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है कि बजाय उसके आप प्रतिवादी संख्या 1/8 बनाये जावें।

लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही प्रतिवादी संख्या 1/8 तारीख 23 माह 04 सन् 2026 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिय तलब किया जाता है, और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 04 सन 26 को जारी किया गया।

आज्ञा से-सीनियर रीडर
मोहर अदालत — अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय

प्रकरण संख्या............/2026
कोई अन्य दीगर व्यक्ति बनाम
1. शांती अग्रवाल पत्नि श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, आयु 72 वर्ष, निवासी 633, तिरू आंगन, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, विधुत नगर-ए, जयपुर राजस्थान - 302021
2. शुभम अग्रवाल पुत्री श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, आयु 41 वर्ष, निवासी निवासी 633, तिरू आंगन, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, विधुत नगर-ए, जयपुर राजस्थान- 302021

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 148 (A) सीपीसी, 1908 केवियट मे प्रवेश हेतु

महोदय,
प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-
1. यह कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त केवियट सीविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148 (A) के अर्न्तगत निम्न प्लॉट के संबन्ध मे प्रस्तुत की जा रही है:-
632-ए स्कीम, विधुत नगर-ए, बीड खातीपुरा, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, जयपुर
2. यह कि उक्त प्लॉट से संबंधित कोई भी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है तो ऐसी स्थिती मे बिना प्रार्थीगण को सुने किसी भी प्रकार का आदेश पारित नही किया जावे, इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित प्लॉट के संबंध मे उक्त केवियट प्रस्तुत की जा रही है।
3. यह कि उक्त प्लॉट से संबंधित वाद निम्न के विरूद्ध पेश किया जा सकता है:-
शांती अग्रवाल पत्नि श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, आयु- 72 वर्ष, निवासी 633, तिरू आंगन, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, विधुत नगर-ए, जयपुर राजस्थान - 302021
इण शुभम अग्रवाल पुत्री श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, आयु 41 वर्ष, निवासी 633, तिरू आंगन, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, विधुत नगर-ए, जयपुर राजस्थान - 302021
4. यह कि उक्त प्रार्थीगण का वकालतनामा इस केवियट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।
अतः श्रीमान के समक्ष उक्त केवियट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त केवियट को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्लॉट संख्या 632-ए स्कीम, विधुत नगर-ए, बीड खातीपुरा, प्रिंस रोड, अजमेर रोड, जयपुर के संबंध मे प्रार्थीगण को केवियेटर के रूप मे पक्षकार बनाया जावे एवं उक्त प्लॉट के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जावे। केवियट का नोटिस सभी संबंधित लोगो के लिए लोकल अखबार मे पब्लिक कर दिया गया है और उसकी एक कोपी इसके साथ दी गयी है।

जरिये अधिवक्ता-जावेद खान, 9571654662

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर
5 वीं व 6ठीं मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone: 0141-2741805,
E-mail: rschfjaipur@yahoo.com
Office website:- www.rschf.org

क्रमांक-16/26 दिनांक-20/04/2026

आम सूचना

संघ की आवासीय योजना केसरी चन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड, जयपुर का भवन संख्या-3/45, श्री प्रहलाद दास तोषनीवाल को आवंटित किया गया था, जिसे इनकी मृत्यु उपरान्त इनकी नोमित पुत्री सुमन माहेश्वरी के नाम ट्रांसफर कर (12.01.2000) कन्वेंस डीड एवं परप्यूचल लीज जारी कर रजिस्ट्री करवा दी गई थी। बाद में उक्त भवन को सुमन माहेश्वरी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 20.10.2004 को श्रीमती मंजु अग्रवाल पत्नि श्री हरिशंकर अग्रवाल द्वारा क्रय किया गया।

दिनांक 22.10.2025 को श्रीमती मंजु अग्रवाल की मृत्यु उपरान्त उनकी पुत्री अग्रवाल आरती वेन प्रदीप धर्मपत्नि श्री प्रदीप रामबिलास अग्रवाल द्वारा अपने माता, पिता एवं भ्राता के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा उनके एकमात्र वारिस होने का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो नोटेरी एवं उप-खंड मजिस्ट्रेड, जयपुर शहर (उत्तर) से प्रमाणित है। आवेदिका द्वारा उपरोक्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त भवन स्वयं के नाम ट्रांसफर कराने हेतु आवेदन किया गया है। जिस किसी को उक्त भवन के हस्तांतरण पर आपत्ति हो तो संघ कार्यालय में 15 दिवस में प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, अन्यथा भवन संख्या-3/45, केसरी चन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड, जयपुर अग्रवाल आरती वेन प्रदीप धर्मपत्नि श्री प्रदीप रामबिलास अग्रवाल के नाम हस्तांतरण कर दिया जावेगा।

प्रबन्धक निदेशक
राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि. जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायलय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थान क्र.स. 10, महानगर,सांगानेर रामवतार शर्मा विरुद्ध गोपाल वगै.
वाद बाबत TI
वाद सं. 151/25
1.) बनाम गोपाल पुत्र सण्डा जाति माली स्थान ग्राम वाटिका त. सांगानेर हाल केयर ऑफ मांगीलाल सैनी पता पानी की टंकी के पास टीबा की ढ़ाणी वार्ड. नं. 29, चाकसू जिला जयपुर
2.)रामफूल चौधरी पुत्र सुजाराम जाति जाट स्थान निवासी निमडी की ढ़ाणी, ग्राम वाटिका, तहसील, सांगानेर
3.) जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री नारायण यादव जाति महीर निवासी फतेहपुरवास वाटिका, तहसील चाकसू, जयपुर
4.) तहसीलदार महोदय जाति स्थान तहसील सांगानेर, जयपुर

ने आपके विरुद्ध के नकल सलंग्न के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 12 माह 5 सन् 26 को दिन में 7:30 उल बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा । यह वाद ता 02 माह 4 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

210
07.04.2026

आज्ञा से
मोहर — अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर

कार्यालय ग्राम पंचायत गंभीरा, पंचायत समिति- मलारना डूंगर जिला- सवाई माधोपुर

क्रमांकः-28 दिनांक 17/04/2026

ई-निविदा सूचना संख्या 03/2026-27

पंचायत समिति, मलारना डूंगर के अधीन ग्राम पंचायत गंभीरा में महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु दर संविदा पर सामग्री एवं उपकरण आपूर्ति कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा दरें ई-प्रोक्युरमेंट पद्धति से द्विस्तरीय (तकनिकी एवं वित्तीय अलग अलग) वेबसाईट www.eproc.rajasthan. gov. in पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाईट www.sppp. rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan. gov. in पर देखें एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
NIB No.ZSM2627A0036
UBN No. ZSM2627WSOB00060

प्रशासक, ग्राम पंचायत गंभीरा — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गंभीरा

कार्यालय ग्राम पंचायत बड़ागांव उर्फ कहार, पंचायत समिति- मलारना डूंगर जिला- सवाई माधोपुर

क्रमांकः-2026-27/07 दिनांक 16/04/2026

ई-निविदा सूचना संख्या 01/2026-27

पंचायत समिति, मलारना डूंगर के अधीन ग्राम पंचायत बड़ागांव उर्फ कहार में महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु दर संविदा पर सामग्री एवं उपकरण आपूर्ति कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा दरें ई-प्रोक्युरमेंट पद्धति से द्विस्तरीय (तकनिकी एवं वित्तीय अलग अलग) वेबसाईट www.eproc.rajasthan. gov. in पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp. rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan. gov. in पर देखें एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
NIB No.ZSM2627A0033
UBN No. ZSM2627WSOB00057

प्रशासक, ग्राम पंचायत बड़ागांव उर्फ कहार — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बड़ागांव उर्फ कहार

कार्यालय ग्राम पंचायत भारजा नदी, पंचायत समिति- मलारना डूंगर जिला- सवाई माधोपुर

क्रमांकः 2026-27/10 दिनांक 16/04/2026

ई-निविदा सूचना संख्या 01/2026-27

पंचायत समिति, मलारना डूंगर के अधीन ग्राम पंचायत भारजा नदी में महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु दर संविदा पर सामग्री एवं उपकरण आपूर्ति कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा दरें ई प्रोक्युरमेंट पद्धति से द्विस्तरीय (तकनिकी एवं वित्तीय अलग अलग) वेबसाईट www.eproc.rajasthan. gov. in पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp. rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan. gov. in पर देखें एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
NIB No.ZSM2627A0032
UBN No. ZSM2627WSOB00056

प्रशासक, ग्राम पंचायत भारजा नदी — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भारजा नदी

कार्यालय ग्राम पंचायत शेषा, पंचायत समिति- मलारना डूंगर जिला- सवाई माधोपुर

क्रमांकः-2026-27/72 दिनांक 16/04/2026

ई-निविदा सूचना संख्या 01/2026-27

पंचायत समिति, मलारना डूंगर के अधीन ग्राम पंचायत शेषा में महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु दर संविदा पर सामग्री एवं उपकरण आपूर्ति कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा दरें ई-प्रोक्युरमेंट पद्धति से द्विस्तरीय (तकनिकी एवं वित्तीय अलग अलग) वेबसाईट www.eproc.rajasthan. gov. in पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp. rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan. gov. in पर देखें एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
NIB No.ZSM2627A0035
UBN No. ZSM2627WSOB00059

प्रशासक, ग्राम पंचायत शेषा — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शेषा

कार्यालय नगर परिषद् शाहपुरा, जयपुर (राज0)
(पीपली तिराहे के पास, शाहपुरा,जयपुर)
Email:- shahpura.jaipur@gmail.com

क्रमांकः-न.प.शा./भूमि/2025-26/03 दिनांक- 15.04.2026

आपत्ति आमन्त्रण सूचना

सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा नगर परिषद शाहपुरा, जयपुर में कृषि भूमि नियमन/69ए पट्टा/उपविभाजन/पुर्नगठन हेतु आवेदन किया गया है।

क्र.स.	आवेदक का नाम व पिता/पति का नाम	स्थित भवन/भूमि का मौहल्ला रास्ता, खसरा नं. व दिशा	कुल क्षेत्रफल (वर्ग गज)	विशेष विवरण
1	श्री सांवर मल तक्षक पुत्र श्री गोपाल लाल जाट	भूखण्ड नं. 44 श्री श्याम वाटिका बिदारा शाहपुरा,जयपुर खसरा नं.851/3 पूर्व-30'आम रास्ता पश्चिम-प्लॉट नं.43 उत्तर-40'आम रास्ता दक्षिण-प्लॉट नं.45	193.44	आवासीय पट्टा हेतु
2	श्री सत्य नारायण शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री सुणी लाल गुर्जर	भूखण्ड नं.09 त्रिवेणी सिटी जाजैखुर्द उर्फ बिशनपुरा शाहपुरा,जयपुर खसरा नं.103 पूर्व-60'आम रास्ता पश्चिम-प्लॉट नं.18 उत्तर-प्लॉट नं.08 दक्षिण-प्लॉट नं.10	83.33	व्यवसायिक पट्टा हेतु
3	श्री छीतरमल यादव पुत्र श्री रामसहाय यादव	भूखण्ड नं.37 गणेश वाटिका आर.टी.ओ ओफिस रोड़ बिदारा शाहपुरा,जयपुर खसरा नं.1954/1787,1949/1022 पूर्व-30'आम रास्ता पश्चिम-अन्य की भूमि उत्तर-भूखण्ड नं.36 दक्षिण-भूखण्ड नं.38	141.70	आवासीय पट्टा हेतु
4	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री रामकरण जाट	मनु विहार कॉलोनी बिदारा शाहपुरा,जयपुर खसरा नं.779 पूर्व-प्लॉट नं.22 व 23 पश्चिम-प्लॉट नं.14 उत्तर-30'आम रास्ता दक्षिण-प्लॉट नं.20	125.00	आवासीय लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
5	श्री विनोद कुमार कारेल पुत्र श्री गोमाराम कारेल	भूखण्ड नं.04 त्रिवेणी सिटी जाजैखुर्द बिशनपुरा शाहपुरा,जयपुर खसरा नं.101,105 पूर्व-अन्य की भूमि पश्चिम- प्लॉट नं.03 उत्तर-60'आम रास्ता दक्षिण-एन.एच.48	373.22	व्यवसायिक पट्टा हेतू
6	श्री हेमराज स्वामी पुत्र श्री अर्जुन लाल स्वामी	भूखण्ड नं.s20 हनुमान नगर बिदारा शाहपुरा,जयपुर खसरा नं. 1752/1032 पूर्व-10'पार्किंग छोडकर 80'आम रास्ता पश्चिम-प्लॉट नं.44 उत्तर-शॉप नं. s 21 दक्षिण- s 19	33.33	व्यवसायिक पट्टा हेतू

अतः किसी को भी इस बाबत् आपत्ति हो तो 07 दिवस में मय सबूत लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को आपत्ति पेश करे, बाद अवधि विचार संभव नही होगा।

राज.संवाद/सी/26/1058 आयुक्त